

कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12/6/19

क्रमांक/शि.स्था.4/375/2019/15720
प्रति,

समस्त संभागीय उपायुक्त,
अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- अध्यापक संवर्ग की सेवाओं का शिक्षण संवर्ग में संविलियन करने बाबत ।

विषयांतर्गत जनजातीय कार्य विभाग द्वारा मध्यप्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग, (सेवा एवं भर्ती) नियम 2018 दिनांक 08 अगस्त 2018 के राजपत्र में प्रकाशित किये गये हैं । उक्त नियमों के अंतर्गत अध्यापक संवर्ग को प्रथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक एवं गायन-वादन शिक्षक के पदों पर संविलियन किया गया है ।

आपके संभाग अंतर्गत जिलों ऐसे कितने अध्यापक हैं जिनका संविलियन नहीं हुआ है ? ऐसे अध्यापकों की सूची तत्काल इस कार्यालय को आज ही प्रेषित करें । ताकि उनका निराकरण मुख्यालय स्तर से किया जा सकें ।

(आयुक्त द्वारा आदेशित)

अपर संचालक
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश

पृ० क्रमांक/शि.स्था.4/375/2019/15721
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 12/6/19

1/- समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अपर संचालक
आदिवासी विकास
मध्यप्रदेश